न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 05 / 2015

बउनवान

श्री दयाराम वर्मा, सहायक निदेशक कृषि एवं उर्वरक निरीक्षक,छबडा
जिला—बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

1—श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी—श्रीपुरा थाना—हरनावदाशाहजी तहसील—छीपाबडौद, जिला—बारां
2—श्री हेमन्त कुमार गेरा मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स हरनावदाशाहजी निवासी—हरनावदाशाहजी तहसील—छीपाबडौद जिला—बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :—1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री अरवन्दि पंचौली,अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक— 04.03.2020

1— प्रार्थी श्री दयाराम वर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 15.12.2014 को थानाधिकारी हरनावदा शाहजी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी कि ग्राम श्रीपुरा में अवैध रूप से यूरिया उर्वरक विक्रय किया जा रहा है। इस सूचना पर क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी के साथ मौके पर पहुॅचे। मौके पर 33 बेग यूरिया उत्तम ब्राण्ड के साथ विक्रय करने वाला कृषक श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी श्रीपुरा एवं थानाधिकारी हरनावदाशाहजी मौजूद मिले। मौके पर उपस्थित थानाधिकारी एवं कृषि विभाग के कर्मचारी के सामने विक्रय करने वाले कृषक श्री लक्ष्मीनारायण लोधा नि. श्रीपुरा से पूछताछ की जिन्होने बताया कि उक्त यूरिया उत्तम ब्राण्ड के 33 बेग वजनी प्रत्येक 50 किलोग्राम श्री हेमन्तकुमार गेरा (फर्म जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी) के है, जिनको उपभोक्ताओं को विक्रय करवाया जा रहा है। इस पर पूछताछ हेतु श्री हेमन्त कुमार गेरा से सम्पर्क करना चाहा तथा थाने पर बुलाया गया लेकिन हेमन्त कुमार गेरा नहीं आया। मौके पर समस्त उर्वरक की जप्ती कर मौका पर्चा तैयार किया गया। इस जप्त किये गये उत्तम ब्राण्ड यूरिया के 33 बेग व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. हरनावदाशाहजी (छीपाबडौद) की सुपुर्दगी में सम्भलाया गया। इस प्रकार श्री लक्ष्मीनारायण लोधा निवासी श्रीपुरा एवं श्री हेमन्त गेरा जिनकी फर्म मै. जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी के नाम है जिनके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 / 7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश,1985 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया। साथ हीं प्रकरण में जप्तशुदा माल उर्वरक धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:28:25 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक ने दिनांक 25.02.2016 को जवाब इस्तागसा प्रस्तुत किया।

3— अप्रार्थी ने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी हेमन्त कुमार गेरा की फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी रजिस्टर्ड एवं लाईसेंसी फर्म है। कृषि विभाग ने खाद के 33 बेग अवैध तरीके से जप्त किये है, जिसका जप्त करने का उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अनाधिकृत उर्वरक का बेचान नहीं किया है बल्कि उक्त उर्वरक का काश्तकार को बेचान किया था। लक्ष्मीनारायण एक काश्तकार है। उसने खाद के कट्टो को क्रय किया था। साथ हीं अन्य किसानों को भी प्रार्थी ने खाद वितरण किया है, जिसके बिल कृषि निरीक्षक व थानाधिकारी को प्रस्तुत किये थे। मामला मिथ्या व झूठा है। अतः परिवाद खारिज किया जाकर, जप्तशुदा माल वापिस लौटाने के आदेश दिये जावे।

4— बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी विद्वान पेरोकार रसद का कथन है कि थानाधिकारी हरनावदा शाहजी द्वारा ग्राम श्रीपुरा में अवैध रूप से उर्वरक बेचान करने की शिकायत पर, दिनांक 15.12.2014 को मौके पर पहूँचकर जॉच की गयी। मौके पर श्री लक्ष्मीनारायण लोधा निवासी श्रीपुरा के पास अवैध रूप से भंडारित कुल 33 बेग उत्तम ब्राण्ड यूरिया के पाये गये। इस संबंध में पूछताछ करने में श्री लोधा द्वारा उक्त यूरिया मै. जगदम्बा ट्रेडर्स, हरनावदाशाहजी के मालिक श्री हेमन्त कुमार गेरा के होना बताया गया। इसपर श्री गेरा को थाने पर बुलाया गया। किन्तु वह नहीं आये। मौके पर यूरिया खरीद के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर, कोई बिल नहीं होना श्री लोधा द्वारा अवगत कराया। इस प्रकार मामला संदिग्ध पाये जाने पर मौके पर 33 बेग प्रत्येक 50 किलो वजनी जप्त किये गये। अतः जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी खाद उर्वरक का लाईसेंसी विक्रेता है। अप्रार्थी से काश्तकार श्री लक्ष्मीनारायण लोधा नि. श्रीपुरा द्वारा काश्तकारी कार्य हेतु 33 बेग उत्तम ब्राण्ड खाद के क्रय किये थे। अप्रार्थी ने खाद का कभी भी अवैध बेचान नहीं किया है ना हीं श्रीलोधा द्वारा इस प्रयोजनार्थ उक्त उर्वरक को क्रय किया है। विभाग द्वारा मिथ्या पूर्ण तरीके से अवैध कार्यवाहीं की गयी है। उसके पास उक्त बेचान के बिल मौजूद है। जप्ती की कार्यवाहीं पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं को निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा उर्वरक अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी उप निदेशक कृषि(विस्तार), बारां द्वारा उर्वरक के अवैध बेचान की शिकायत पर ग्राम श्रीपुरा में [illegible] पर पाया कि श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभूलाल लोधा निवासी—श्रीपुरा [illegible] पास [illegible]वैध रूप से क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:28:25 IST
Reason: SelfAttested

हुआ उत्तम ब्राण्ड 33 बेग भण्डारित है। मौके पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उक्त उर्वरक श्री हेमन्त कुमार गेरा फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रेडर्स, हरवादाशाहजी से क्रय करना बताया गया। किन्तु मौके पर क्रय संबंधी कोई बिल नहीं उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थी श्री लोधा के कथन के समर्थन में श्री गेरा को पूछताछ हेतु संबंधित थाने पर बुलाया गया किन्तु वह उपस्थित नहीं हुए है। इस प्रकार स्पष्ट है अप्रार्थी द्वारा जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग उत्तम ब्राण्ड का अवैध रूप से बेचान करने हेतु भण्डारित किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,1995 की धारा, 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा धारा ,6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लघंन है। प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा माल उर्वरक 33 बेग को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा उर्वरक 33 बेग उत्तम ब्राण्ड वजनी प्रत्येक 50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), छबडा को आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा उर्वरक को अन्तरिम सुपुर्दगीदार व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. हरनावदा शाहजी से प्राप्त कर, उक्त उर्वरक को विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:28:25 IST
Reason: SelfAttested